No. F. 18-3/2018/CAS-2018/R-I National Council of Educational Research and Training Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016 (Recruitment-1 Section)

June 24, 2024

CIRCULAR

This is with reference to Council's Notification of even number dated 03.04.2024 inviting applications for promotion under CAS on the basis of need-based changes under UGC Regulation-2018.

UGC has Notified 4th amendment in UGC Regulation-2018 on 06.06.2024 published in the Gazette of India on 07.06.2024 wherein the following has been mentioned:

"those faculty members who have already qualified or are likely to qualify till 31st December, 2024 as per UGC Regulations 2010, a choice may be given to them either, for being considered for promotions under the 2010 or 2018 Regulations. The date of eligibility shall be retained as the date of promotion. On the date of submission of the application, the candidate should fulfill all eligibility criteria required for promotion". (Copy enclosed)

Accordingly, all the faculty members (including those who have already submitted their applications for promotion under CAS or shall become eligible upto 31 December, 2024) are hereby requested to submit their option for being considered for promotions under the UGC Regulations 2010 or 2018.

It is once again reiterated that duly signed applications for promotion may be submitted in spiral bound form with all documents appropriately indexed and page—numbered. Applications should be duly verified at the level of Institute/Deptt./Division/Unit. After submission of application, no additional document (s) will be accepted.

This issues with the approval of Competent Authority.

Encl: As above

Under Secretary R-I Section

Copy to:-

- 1. Joint Director, CIET/PSSCIVE, Bhopal
- 2. Principals of RIEs(Ajmer/Bhopal/Bhubaneswer/Mysuru)/NERIE, Shillong
- 3. All Heads of the Departments/Divisions/Cells, NIE, NCERT, New Delhi
- 4. Chief Accounts Officer, NCERT
- 5. PS to Director for information to Director, NCERT
- 6. PS to Joint Director for information to Joint Director, NCERT
- 7. PS to Secretary for information to Secretary, NCERT
- 8. Guard File.

मिसिल संख्या.18-3/2018/CAS-2018/R-1 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली-110016 (भर्ती-1 अनुभाग)

24 जून 2024

परिपत्र

यह परिषद की दिनांक 03.04.2024 की समसंख्यक अधिसूचना के संदर्भ में है। जो UGC विनियम-2018 के तहत आवश्यकता-आधारित परिवर्तनों के आधार पर CAS के तहत पदोन्नति के लिए आवेदन आमंत्रित करती है।

यूजीसी ने 06.06.2024 को यूजीसी विनियम-2018 में चौथा संशोधन अधिसूचित किया है जो 07.06.2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ है जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है:

"वे संकाय सदस्य जो यूजीसी विनियम 2010 के अनुसार पहले ही अर्हता प्राप्त कर चुके हैं या 31 दिसंबर, 2024 तक अर्हता प्राप्त करने की संभावना रखते हैं, उन्हें 2010 या 2018 विनियमों के तहत पदोन्नित के लिए विचार किए जाने का विकल्प दिया जा सकता है। पात्रता की तिथि होगी पदोन्नित की तिथि के रूप में बरकरार रखी जाएगी। आवेदन जमा करने की तिथि पर, उम्मीदवार को पदोन्नित के लिए आवश्यक सभी पात्रता मानदंड पूरे करने चाहिए।" (प्रतिलिपि संलग्न).

तदनुसार, सभी संकाय सदस्यों (उन लोगों सिहत जिन्होंने CAS के तहत पदोन्नित के लिए पहले ही अपने आवेदन जमा कर दिए हैं या 31 दिसंबर, 2024 तक पात्र हो जाएंगे) से अनुरोध किया जाता है कि वे यूजीसी विनियम 2010 या 2018 के तहत पदोन्नित के लिए विचार किए जाने के लिए अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

यह एक बार फिर दोहराया जाता है कि पदोन्नित के लिए विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन सभी दस्तावेजों को उचित रूप से अनुक्रमित और पृष्ठ-संख्या के साथ स्पाइरल बाउंड फॉर्म में प्रस्तुत करें। आवेदनों को संस्थान/विभाग/प्रभाग/यूनिट के स्तर पर विधिवत सत्यापित किया जाना चाहिए। आवेदन जमा करने के बाद कोई अतिरिक्त दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अवर सचिव आर-। अनुभाग

प्रतिलिपि:-

- 1. संयुक्त निदेशक, सीआईईटी/पीएसएससीईवी, भोपाल
- 2. प्रधानाचार्य, आर.आई.ई (अजमेर/भोपाल/भुवनेश्वर/मैसूर)/NERIE, शिल्लोंग)
- 3. सभी विभागाध्यक्ष/प्रभाग/प्रकोष्ठ, एनआईई, एनसीईआरटी, नई दिल्ली
- 4. मुख्य लेखा अधिकारी, एनसीईआरटी
- 5. निदेशक, एनसीईआरटी को सूचनार्थ
- 6. संयुक्त निदेशक, एनसीईआरटी को सूचना हेतु
- 7. सचिव, एनसीईआरटी को सूचना हेतु
- 8. गार्ड फाइल.



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07062024-254606 CG-DL-E-07062024-254606

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405] No. 405] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 7, 2024/ज्येष्ठ 17, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 7, 2024/JYAISHTHA 17, 1946

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2024

मि.सं. 9-1/2010(पीएस/विविध)पार्ट.खंड.॥.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 14 के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ड.) और (छ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी एतद्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य अकादिमक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं और उच्चतर शिक्षा में मानकों का अनुरक्षण के लिए अन्य उपाय) विनियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत: -

- 1. लघु शीर्षक और प्रारंभ :- (1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य अकादिमक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं और उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए अन्य उपाय) (चौथा संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा (यूआईएन:2/2024)।
 - (2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- 2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य अकादिमक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं और उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए अन्य उपाय) (तीसरा संशोधन), विनियम 2023 में खंड 6.3 के अधीन विनिर्दिष्ट परंतुक को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः –

"इन विनियमों के तहत उल्लिखित कैरियर उन्नति योजना के अंतर्गत पदोन्नतियों के लिए मानदंड इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे। तथापि, उन संकाय सदस्यों को कठिनाई से बचाने के लिए, जिन्होंने पहले ही अर्हता प्राप्त कर ली है या विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं और उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए अन्य उपाय, 2010 के अनुरूप यूजीसी विनियमों के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक अर्हता प्राप्त करने की संभावना हैं, उन्हें 2010 या 2018 विनियमों के तहत पदोन्नति के लिए विचार में रखे जाने का विकल्प दिया जा सकता है। पात्रता की तिथि पदोन्नति की तिथि के रूप में धारित की जाएगी। आवेदन जमा करने की तिथि पर, उम्मीदवार को पदोन्नति के लिए आवश्यक सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए।"

परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य अकादिमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं और उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए अन्य उपाय) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 के खंड 6.3 को हटाया गया समझा जाएगा।

> प्रो. मनिष र. जोशी, सचिव [विज्ञापन-III/4/असा./174/2024-25]

नोट: प्रधान विनियम भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में मि. सं. 1-2/2017 (ईसी/पीएस) दिनांक 18 जुलाई, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION **NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th June, 2024

No. F.9-1/2010(PS/MISC)Pt. Vol.II.—In exercise of the powers conferred under clause (e) and (g) of subsection (1) of Section 26 read with Section 14 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following amendment in the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018, namely:-

- Short title and commencement.-(1) These regulations may be called the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) (4th Amendment) Regulations, 2024 (UIN:2/2024).
 - (2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- The proviso prescribed under Clause 6.3 in the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) (3rd Amendment) Regulations, 2023, shall be substituted with

"The criteria for promotions under Career Advancement Scheme laid down under these Regulations shall be effective from the date of notification of these Regulations. However, to avoid hardship to those faculty members who have already qualified or are likely to qualify till 31st December 2024 as per the UGC Regulations on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education, 2010, a choice may be given to them either for being considered for promotions under the 2010 or 2018 Regulations. The date of eligibility shall be retained as the date of promotion. On the date of submission of the application, the candidate should fulfill all eligibility criteria required for promotion." candidate should fulfill all eligibility criteria required for promotion."

As a consequence, the Clause 6.3 of the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) (3rd Amendment) Regulations, 2023, stands deleted.

Prof. MANISH R. JOSHI, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./174/2024-25]

Note: The Principal Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary under Part III, Section 4 vide No.F. 1-2/2017 (EC/PS) dated 18th July 2018.